15 अक्टूबर, 2010

म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

पंचम तल, मैट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल – 462 016

भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर, 2010

क्रमांक 2678/म.प्र.विनिआ/2010. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 सहपठित धारा 87 द्वारा प्रदत्त समस्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा दिनांक 02 जुलाई, 2004 को अधिसूचित ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य परामर्श दात्री समिति का गठन एवं उसकी कार्य प्रणाली,) विनियम, 2004 (2004 का जी–7) में निम्नानुसार संशोधन करता है :–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य परामर्श दात्री समिति का गठन एवं उसकी कार्य प्रणाली) विनियम, 2004 में प्रथम संशोधन

1. **प्रस्तावना :**

1.1 राज्य परामर्श दात्री समिति के सदस्यों द्वारा राज्य परामर्श दात्री समिति की बैठकों एवं समिति के सदस्यों को शुल्क के संबंध में कठिनाईयों का अनुभव किया गया है । आयोग द्वारा समिति के सदस्यों की कठिनाईयों के निराकरण हेतु यह संशोधन किया गया है ।

2. **संक्षिप्त शीर्षक, प्रयोज्यता की सीमा तथा प्रारंभ** : 2.1 यह विनियम **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य परामर्श दात्री समिति का गठन एवं उसकी कार्य प्रणाली) विनियम, 2004 (प्रथम संशोधन) {2004 का एजी–7(i)}**

2.2 इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा ।

2.3 यह संहिता मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी ।

3. **धारा 5 एवं 6 में संशोधन :**

''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य परामर्श दात्री समिति का गठन एवं उसकी कार्य प्रणाली,) विनियम, 2004 की धारा 5 एवं 6 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

''5. बैठक की कार्यवाहियां :

(2) समिति प्रत्येक तीन माह में अथवा ऐसी समयावधि में जैसा की आयोग समय–समय पर निर्धारित करें, एक बैठक आयोजित करेगा ।

'' 6. राज्य परामर्श दात्री समिति के सदस्यों को शुल्क एवं भत्ते :

(1) पदेन सदस्य को छोड़कर समिति के सदस्यों को प्रति बैठक ऐसे शुल्क जैसा–जैसा की आयोग समय–समय पर निर्धारित करें, की पात्रता होगी ।

आयोग के आदेशानुसार

आयोग सचिव